न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/40/2023

श्रीमती प्रेमवती पत्नि स्व0 श्री शिवकुमार मोहल्ला गोपालगढ़, जिला भरतपुर मार्फत महेश चौधरी, पुराने बिजलीघर के सामने भरतपुर

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 21.08.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अति0 निदेशक एवं लोक सूचना अधिकारी पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राज0 जयपुर के पत्रांक प4 (243) (अपील पत्राचार) निपेवि/स्था/सू.अ./2005/23–24/2386–88–आर दिनांक 20.7.2023 से अपीलान्ट श्रीमती प्रेमवती पत्नि स्व0 श्री शिवकुमार मोहल्ला गोपालगढ़, जिला भरतपुर मार्फत महेश चौधरी, पुराने बिजलीघर के सामने भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी कोषधिकारी भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/23/563 दिनांक 03.08.2023 से लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराये जाने बाबत् रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्रांक कोष/पेंशन/आर.टी.आई./2023–24/4204 दिनांक 18.08.2023 शामिल मिसिल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी

कोषाधिकारी भरतपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना उपलब्ध करवाये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत् कोषाधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। कोषाधिकारी भरतपुर ने अवगत कराया है कि प्रार्थीया को कार्यालय के पत्रांक कोष/पेंशन/आर.टी.आई./2023–24/3522 दिनांक 30.5.2023 जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना घर के पते पर भिजवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है।

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर